


XXXIX (a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1235-II/15

जिला- ~~सिद्धा~~

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-7-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;">  (एम.के.सिंह) सदस्य </p>	

दिनांक 30-5-15 का
श्री सुकेश बलापुरकर आदि
द्वारा प्रस्तुत।

~~किस~~
30-5-15



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 रेस्टोरेशन

रैस्टो 1235-11-15

1. रामखेलावन पुत्र श्री रामगोपाल पटेल
2. कामता प्रसाद पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल

निवासीगण ग्राम-मलुहा तहसील मऊगंज जिला-रीवा

विरुद्ध

आसिन मौहम्मद पुत्र श्री मैनुददीन

निवासी-मलुहा, तहसील मऊगंज, जिला-रीवा

म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-9 के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम-32 के अधीन आवेदन पत्र.


महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक-आर1824-2/2005 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28-04-2015 को नियत था.
2. यह कि, नियत दिनांक 28-04-2015 को आवेदक के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामुहिक रूप से कार्य से विरत थे आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था इस कारण आवेदक नियत दिनांक 28-04-2015 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पेरवी में खारीज हो गया इसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई माह के तीसरे सप्ताह में खारीज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है.
3. यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणागुण पर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा.

अतएव प्रार्थना है कि, आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्रमांक-आर1824-2/2005 पुनः स्थापित किया जाकर प्रकरण के गुण-दोषो पर सुनवायी किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जायें.

इति दिनांक:- 30/5/2015


आवेदकगण
द्वारा अधिवक्ता
(उसके वाजपेयी)